<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

1. **<u>अपील डिक्री/टी0ए0/5217/2005/भरतपुर</u>**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भरतपुर।

अपीलांट....

बनाम

पूरन सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति जाट निवासी ग्रम मंडोली तहसील व जिला भरतपुर।

रेस्पो0 ....

2. **<u>अपील डिक्री/टी0ए0/6400/2009/भरतपुर</u>**

नत्थी पुत्र कंचन जाति जाट निवासी ग्रम मंडोली तहसील व जिला भरतपुर।

अपीलांट...

बनाम

1. पूरन सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति जाट निवासी ग्रम मंडोली तहसील व जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भरतपुर।

रेस्पो0...

<u>खण्डपीठ</u>
श्री आर0डी0मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति0राजकीय अभिभाषक अपीलांट
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट (अपील सं0 6400/2009)
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पो0

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 26.08.2025

1– उपरोक्त दोनों अपीलें अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त दोनों अपीलों में पक्षकार, विवादित आराजी एवं प्रकरण के विधिक बिन्दु भी समान होने के कारण उक्त दोनों अपीलों को निस्तारण एक ही निर्णय के

द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रतिलिपि उपरोक्त दोनों अपीलों में पृथक–पृथक से लगायी जावे।

2– **<u>अपील संख्या 5217/2005</u>** के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी पूरनसिंह ने अपीलांट/प्रतिवादी सरकार के विरूद्ध एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, भरतपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 42/508 रकबा 0.49 है0 एवं खसरा नं0 42/506 रकबा 1.21 है0 पर रेस्पो0/वादी 1/3 हिस्सा का खातेदार की हैसियत से एवं 2/3 हिस्से पर गैर खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त चल आ रहा है। रेस्पो0/वादी संवत 2012 के पूर्व से ही विवादित आराजी के 2/3 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अतः रेस्पो0/वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 13–11–2002 एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तदोपरान्त दिनांक 09–07–2003 अपीलांट/वादी के अभिभाषक भी उपस्थित नहीं होने पर गुणावगुण के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2003 से वादी/रेस्पो0 का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर रेस्पो0/वादी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तु की गयी। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12. 2004 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2003 को अपास्त करते हुये वादी/रेस्पो0 को खातेदार घोषित कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2004 से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

<u>अपील संख्या 6400/2009</u> के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट नत्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी पर एक घोषणा का वाद रेस्पो0 पूरन सिंह के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें रेस्पो0 के विरूद्ध टी0आई0 प्राप्त कर रखी है। रेस्पो0 द्वारा जब अपीलांट के दावे में जवाब दावा प्रस्तुत किया गया और उसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2004 का हवाला दिया तो अपीलांट को इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। चूंकि अपीलांट उक्त आदेश से सीधा व्यथित है और उसके हित प्रभावित होते है। इसलिए उसने अपीलीय न्यायालय द्वारा

पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2004 को चुनौती दिये जाने के लिए जरिये धारा 96 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ मंडल में यह अपील प्रस्तुत की है।

3– सर्वप्रथम दोनों अपीलों में प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2004 के विरूद्ध उनके द्वारा पत्र लिखकर जिला कलेक्टर, भरतपुर से मंडल में अपील प्रस्तुत करने का निवेदन किया। जिला कलेक्टर द्वारा उक्त निर्णय का विधिक परीक्षण कराये जाने के पश्चात अपने पत्र दिनांक 07.09. 2005 से तहसीलदार भरतपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुये मण्डल में अपील करने हेतु आदेशित किया। उक्त प्रक्रिया में समय लग जाने के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलंब हुआ।

अन्य अपील में विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, भतरपुर के समक्ष लंबित दावे में रेस्पो0 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12. 2004 का हवाला दिया गया। तब अपीलांट को उक्त तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में विलंब हुआ।

विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत कथनों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा मियाद के संबंध में लिये गये आधार एक विधिक एवं सारगर्भित आधार प्रतीत होते है। अतः उक्त परिस्थतियों को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थी/अपीलांट के प्रति नरम रूख अपनाते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को न्यायाहित में स्वीकार करते हुये अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है

4– तत्पश्चात अपीलांट नत्थी के विद्वान अभिभाषक को प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी0 सुना गया। उनका कथन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2013–2017 में अपीलांट व उसके भाई हरिकिशन का नाम अंकित है। विवादित आराजी के अपीलांट व उसका भाई हरिकिशन (मृतक) राजस्व अभिलेख में खुदकाश्त की हैसियत से काबिज थे। अपीलांट के भाई हरिकिशन की लाऔलाद मृत्यु हो जाने पर विवादित आराजी पर अपीलांट एक मात्र काबिज काश्तकार है। अपीलीय न्यायालय द्वारा रेस्पो0 के पक्ष में डिक्री पारित करने से अपीलांट हित प्रभावित होते है। इसलिए अपीलांट अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दिया जाना न्यायिक है।

विद्वान अभिभाषक को प्रार्थना पत्र 96 पर सुना गया। चूंकि अपीलांट ने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2013–2017 में अपीलांट व उसके भाई

हरिकिशन का नाम अंकित है एवं अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष इसी विवादित आराजी के बाबत वाद दायर कर रखा है। इसलिए प्रकरण में अपीलांट के हितों को ध्यान में रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 को स्वीकार करते हुये उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

5– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गयी ।

6– विद्वान अति0 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पो0/वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू के समय ना तो विवादित आराजी के खातेदार थे और ना ही उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त था। इसलिए उन्हें किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है परन्तु अपीलीय न्यायालय बिना किसी आधार के रेस्पो0 को विवादित आराजी का खातेदार मानते हुये दावा डिक्री कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि रेस्पो0/वादी विवादित आराजी संवत 2012 से निरंतर अपना कब्जा बता रहा है परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में राजस्व रिकार्ड यथा जमाबंदी, खसरा गिरदावरियां आदि प्रस्तुत नहीं की गयी। उनका तर्क है कि राजस्थान जमींदारी बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1956 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 1955 लागू होने के समय विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में खुदकाश्त की भूमि दर्ज नहीं थी और ना ही रेस्पो0 का कब्जा था। इसलिए उक्त अधिनियम के प्रभाव में आने के कारण भूमि स्वतः ही राज्य सरकार में निहीत हो गयी। परन्तु अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुये रेस्पो0 को खातेदार घोषित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपील संख्या 6400/2009 में अपीलांट के अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजी ख0न0 42/508 व 42/506 जो साबिक ख0नं0 104 व 106 से बनाये गये है। इन साबिक खसरा नंबरों की आराजी पर अपीलांट व उसके भाई मृतक हरिकिशन राजस्व अभिलेख में खुदकाश्त की हैसियत से काबिज थे। विवादित आराजी जमाबंदी संवत 2013 से 2016 तक अपीलांट व उसका भाई की खुदकाश्त की आराजी रही है। इसलिए जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत अपीलांट को स्वयंमेव खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। इसी आधार पर उनके द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। उनका तर्क है कि जमाबंदी संवत 2018–2021 में बिना किसी वैधानिक आदेश के उक्त आराजी ख0न0 104 व 106 पर अपीलांट व उसके भाई

मृतक हरिकिशन को 1/3 हिस्सा तथा पूरनसिंह के पिता गुलाब सिंह को 2/3 हिस्से का खातेदार गलत दर्ज कर दिया गया। उक्त जमाबंदी में जो प्रविष्टियां बदल दी गयी वह बिना किसी सक्षम आदेश के कर दी गयी। उनका तर्क है कि अपीलांट विवादित आराजी पर खुदकाश्त दर्ज है परन्तु रेस्पो0/वादी ने अपने वाद में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि विवादित आराजी उसको व उसके पिता को आराजी काश्त पर दी गयी थी बल्कि उसका यह कथन रहा है कि वह आराजी पर संवत 2012 से पूर्व से काबिज चला आ रहा है। जबकि इस संबंध में उसके द्वारा जमाबंदी संवत 2012 प्रस्तुत नहीं की गयी। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

7– विद्वान अभिभाषक रेस्पो0/वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि जमाबंदी संवत 2017 –2020 के खाता में विवादित आराजी के 2/3 हिस्से पर रेस्पो0 के पिता गुलाब सिंह गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। उनका कथन है कि वह विवादित आराजी पर विगत 30 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त करता आ रहा है और राजस्थान सरकार द्वारा आज तक उसके विरूद्व कोई बेदखली की कार्यवाही नहीं की गयी है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। उनका तर्क है कि अपीलांट ने विवादित आराजी पर किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से अपना अधिकार साबित नहीं किया है। अपीलीय न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों की जांच करने के पश्चात ही अपना निर्णय व डिक्री पारित किया है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया।

9. पत्रावली व उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पो0/वादी ने कथन किया कि वह जमाबंदी संवत 2017 –2020 के खाता में विवादित आराजी के 2/3 हिस्से पर रेस्पो0 के पिता गुलाब सिंह गैर खातेदार के रूप में दर्ज है तथा विवादित आराजी पर वह विगत 30 वर्षो कब्जा काश्त करता आ रहा है। परन्तु इस कथन को सिद्व करने के लिए रेस्पो0/वादी द्वारा ना तो संवत 2012 की जमाबंदी प्रस्तुत की गयी ना ही कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। जमाबंदी संवत 2017 का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त जमाबंदी में रेस्पो0/वादी के पिता गुलाब का कोई अंकन नहीं है। वह खसरा नंबर 104 पर मात्र मालिक के रूप में दर्ज है। रेस्पो0 ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने कथन किया। परन्तु रेस्पो0 यह सिद्व नहीं कर पाया कि वह संवत 2012 से विवादित आरजी पर निरंतर कब्जा काश्त करता आ रहा है। इसलिए

प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वह खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं बनता है। वैसे भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये बाबत मंडल की वृहद्धपीठ द्वारा निर्णय पारित किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि रेस्पो0 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के समय की जमाबंदी अर्थात संवत 2012 व राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रभाव में आने की जमाबंदी अर्थात संवत 2016 प्रस्तुत नहीं गयी है। इसलिए वह अपने आप को विवादित आराजी का खातेदार घोषित करवाने के तथ्य को साबित करने में असफल रहा है। इस संबंध में विधिक स्थिति यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत पक्षकार का कब्जा काश्त सवंत् 2012 से होना आज्ञापक है। प्रकरण में चूंकि रेस्पो0/वादी द्वारा अपने वादपत्र के कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह जाहिर हो सके कि वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा संवत् 2012 (कानून लागू होने की दिनांक) को रहा हो। इस संबंध में हमने विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19 में अभिनिर्धारित किया गया है किः–

<u>Section-19</u> Conferment of rights on certain tenants of Khudkasht and sub-tenants-

(1) Every person who, at the commencement of this Act-

(a) was entered in the annual registers then current as a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land other than grove land, or

(b) was not so entered but was a tenant of Khudkasht or subtenant of land, other than grove land,

धारा 19 (1) के प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि उक्त धारा की उपधारा (1) (ए) के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने के लिये वादी का नाम सम्वत 2012 अर्थात अधिनियम, 1955 लागू होने की दिनांक 15–10–1955 के वार्षिक रजिस्टरों में बतौर ''खुदकाश्त का कृषक अथवा उपकृषक'' (tenant of Khudkasht or sub-tenant) दर्ज होना चाहिये। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि 15–10–1955 के पहले कितने लम्बे समय से और उसके बाद भी कितने लम्बे समय तक वादी काबिज–काश्त रहा, अपितु महत्वपूर्ण यह है कि अधिनियम, 1955 लागू होने की दिनांक को वह काबिज–काश्त था या नहीं। वादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत एवं विचारण न्यायालय द्वारा विवेचित दस्तावेजी साक्ष्यों में कोई भी दस्तावेज 2012 में वादी/रेस्पो0 का कब्जा व काश्त बतौर खुदकाश्त नहीं बताता है। इस प्रकार वादी का दावा धारा 19 (1) (ए) के

प्रावधानों के अनुसार भी सिद्ध नहीं है। धारा 19 (1) के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 1955 लागू होने की तारीख को कब्जे–काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार ''खुदकाश्त का कृषक अथवा उपकृषक'' (tenant of Khudkasht or sub-tenant) को ही मिलते है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही वादी/ रेस्पो0 के वादपत्र को खारिज किया गया है जो विधिसम्मत पाया जाता है। एक अन्य अपील संख्या 6400/2009 भी अपीलांट नत्थी द्वारा समान आधारों पर ही प्रस्तुत की है। अतः उपरोक्त आधारों को मध्यनजर रखते हुये उपरोक्त प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार योग्य पायी जाती है।

9. परिणामतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दोनों अपीलें स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.200 अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2003 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(आर.डी0मीणा)
सदस्य